निर्वाचन/अत्यावश्यक/मेल

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 877 / रा.नि.आ.-2/1379/20

सत्यमेव जयते

दिनांक 15.10.2018

# राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–3 : देहरादून

**विषयः–नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2018 के लिए सामान्य निर्देश।**

महोदय,

कृपया आप अवगत ही हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की पृथक–पृथक अधिसूचना **दिनांक 15 अक्टूबर, 2018** के द्वारा नगर निगम, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी–काठगोदाम, कोटद्वार, रूद्रपुर एवं काशीपुर के नगर प्रमुख एवं सभासदों, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों एवं सदस्यों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह कहना है कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2018 के दौरान मतदाताओं को निर्भीकतापूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृपया निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1– नागर निकाय निर्वाचन के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों के यथा आवश्यकता लाइसेंसधारियों के आग्नेयास्त्र जमा कराये जायं तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जाय।

2– निर्वाचन कार्य में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

3– मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैप्चरिंग की घटनायें घटित न हों तथा दलित/पिछडे वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाए।

4– मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय।

5– मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय।

6– मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं/अर्द्धनिकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय।

7– मतदान की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारीगरों/मजदूरों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय।

क्रमशः.........2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर यथोचित आदेश निर्गत कराते हुए तद्नुसार राज्य निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

**संख्याः 877/रा0नि0आ0–3/1379/2013 तद्दिनांक।(ई0मेल0)**

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, शिक्षा/श्रम/सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
8– आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
12– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
13– समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड ।
14– गार्ड फाईल ।

(रोशन लाल)
सचिव।